संख्या- 2/2024/आई/509986/23-7-2024/001-01-एसए-2024

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक: 04 मार्च, 2024

विषयः-श्रम न्यायालय, आगरा के अभिवाद सं0-252/2003 में जारी वसूली प्रमाण-पत्र में बकाया धनराशि रू0 35,25,834 में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट सी0 नं0-35035/2023 शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं 04 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.10.2023 के अनुपालन में धनराशि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-7343 बी0जी0/209बी0(44)/2023-24, (डिक्रिटल मद) दिनांक 09.11.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, श्रम न्यायालय, आगरा के अभिवाद सं0-252/2003 में जारी वसूली प्रमाण-पत्र में बकाया धनराशि रू0 35,25,834 में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट सी0 नं0-35035/2023 शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं 04 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.10.2023 के अनुपालन में धनराशि रू0 35,25,834 (रू0 पैंतीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ चौतीस मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से मा0 श्रम न्यायालय, आगरा में जमा किये जाने की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 35,25,834 (रू0 पैंतीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ चौतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी0-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

(4) यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-सी0-35035/2023 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय तथा अभिवाद सं0-252/2003 श्री शेर सिंह बनाम प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ एवं एक अन्य में मा0 श्रम न्यायालय, आगरा द्वारा पारित अभिनिर्णय दिनांक 25.09.2020 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या-सी0-6548/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए अवमुक्त किया जा रहा है।

भवदीय,
रिपुंजय गुप्ता
अनु सचिव।

संख्या-2/2024/आई/509986/23-7-2024/001-01-एसए-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, आगरा।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आगरा।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
8- अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11-लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रिपुंजय गुप्ता
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in